सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं:. NCST/DEV-4224/BR/4/2025-RU-IV   दिनांक : 27.10.2025

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जिला- अररिया
कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,
कलेक्ट्रेट परिसर,
अररिया, बिहार 854311
Email Id: dm-araria.bih@nic.in
Tel. No: 222001

विषय: बिहार के अररिया जिले में आदिवासियों परिवारों को एवं उनके गांवों को सरकारी योजनाओं के विकास, रोजगारों, घरों के जमीन पर पक्के आवास आदि से बिहार सरकार के पदाधिकारियों द्वारा तथाकथित रूप से वंचित रखने के संबंध में -श्री अक्षय कुमार, राष्ट्रीय सचिव, मानव खोज, बी-51, गली संख्या-2, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली का पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है ।

Encl: as above

भवदीय

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:-

श्री अक्षय कुमार,
राष्ट्रीय सचिव, मानव खोज,
बी-51, गली संख्या-2, पूर्वी विनोद नगर,
दिल्ली-110091,
E.mail: animation9818@gmail.com
Mobile No:9354274761

PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-4224/BR/4/2025-RU-IV

बिहार राज्य के अररिया ज़िले में आदिवासी परिवारों एवं उनके गांवों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विकास, रोजगार, तथा आवास हेतु भूमि पर पक्के मकानों जैसी मूलभूत सुविधाओं से बिहार सरकार के पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से वंचित रखने के संबंध में श्री अक्षय कुमार (राष्ट्रीय सचिव, मानव खोज, बी-51, गली संख्या-2, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091) के दिनांक 30.12.2024 के आवेदन के संदर्भ में डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को अपराह्न 03:40 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सम्पन्न सिटिंग का **कार्यवृत्त** ।

सिटिंग की तिथि एवं समय	: 18.09.2025 को अपराह्न 03: 40 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	: अनुलग्नक-I अनुसार।

संबंधित अभ्यावेदन/मेल , श्री अक्षय कुमार, राष्ट्रीय सचिव, मानव खोज, बी-51, गली संख्या-2, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-91 के दिनांक 31.12.2024 के मेल/पत्र द्वारा आयोग में प्राप्त हुआ है। इसमें श्री अक्षय कुमार ने बिहार के अररिया जिले में आदिवासी परिवारों एवं उनके गांवों को सरकारी विकास योजनाओं, रोजगार, आवास और जमीन आदि से बिहार सरकार तथा भारत सरकार के पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से वंचित किए जाने के संबंध में आयोग का ध्यान आकर्षित करते हुए इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।। उन्होंने उल्लेख किया है कि ग्राम रानीबाड़ी (ग्राम पंचायत – पहुंसरा शाना, अंचल प्रखण्ड – रानीगंज, जिला – अररिया, बिहार) के मूल निवासी आज भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्राम तक पहुँचने के लिए लगभग एक किलोमीटर की दूरी तक केवल कच्ची सड़क है, जिससे आवाजाही में काफी कठिनाई होती है। पूर्वजों की जमीन पर झोपड़ीनुमा कच्चे घर बने हुए हैं, परंतु विभागीय स्तर पर अभी तक बंदोबस्ती नहीं की गई है। गाँव में सोलर लाइट या बैटरी लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी पात्र लोगों तक नहीं पहुंचा है और ग्राम पंचायत सचिव तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से कोई सहयोग नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त गाँव में स्वच्छता, रोशनी, रोजगार, स्वास्थ्य, यातायात और आवास योजनाओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर, रानीबाड़ी गाँव के आदिवासी/मूल निवासी प्रशासनिक लापरवाही के कारण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

2. इस संदर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा जिलाधिकारी, जिला- अररिया को नोटिस दिनांक 31.01.2025 भेजा गया ।

3. सम्बंधित विभाग से संतोषजनक प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण, आयोग द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 18.09.2025 को अपराह्न 03:40 बजे सिटिंग निर्धारित की गई। तदनुसार, जिलाधिकारी, जिला अररिया को सिटिंग नोटिस दिनांक 15.09.2025 को प्रेषित किया गया। अभ्यावेदक को भी इस संबंध में यथोचित सूचना प्रदान की गई।

4. सुनवाई के दौरान जिला अररिया के उपायुक्त अनुपस्थित रहे एवं उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO), अररिया को अधिकृत किया। सुनवाई के समय जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया द्वारा अवगत कराया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, रानीगंज ने एक संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार:

आशा लकड़ा

i. रानीबाड़ी गाँव जाने वाली लगभग 1 किमी कच्ची सड़क जीर्ण-शीर्ण थी, जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है और समय पर पूर्ण हो जायेगा।

ii. स्थल जाँच में पाया गया कि आवेदक विनोद कुमार मुर्मु के पिता एवं अन्य के नाम बिहार सरकार की खास भूमि (मौजा पहुसारा, थाना-07, खाता-1028, खेसरा-2172) बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त है, इनके नाम से जमाबंदी संधारित है एवं लगान रसीद निर्गत है।

iii. रानीबाड़ी आदिवासी टोला के दोनों मोहल्लों में एक-एक मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित है और दोनों कार्यरत हैं।

iv. पहुसारा पंचायत अन्तर्गत रानीबाड़ी में आवास योजना का लाभ दिया गया है तथा शेष योग्य परिवारों का आवास जियो-टैग हो चुका है।

सुनवाई उपरांत आयोग द्वारा इस प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:

i. संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यावेदक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है। अतः आयोग द्वारा इस मामले में अग्रिम कोई कार्रवाई किया जाना आवश्यक नहीं है । अत: मामले को आयोग में बंद किया जाता है ।

आशा लकड़ा
14/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-4224/BR/4/2025-RU-IV

Sitting to be held on **18.09.2025 at 03.40 P.M-** बिहार के अररिया जिले में आदिवासियों परिवारों को एवं उनके गांवों को सरकारी योजनाओं के विकास, रोजगारों, घरों के जमीन पर पक्के आवास आदि से बिहार सरकार के पदाधिकारियों द्वारा तथाकथित रूप से वंचित रखने के संबंध में -**श्री अक्षय कुमार,** राष्ट्रीय सचिव, मानव खोज, बी-51, गली संख्या-2, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली का अभ्यावेदन

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Collector and District Magistrate, Arariya, Bihar**		
1.	Pawan Kumar Singh	DWO, Araria Bihar	[signature] 18.09.25 7070106155
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			